दैनिक
न्याय साक्षी

अंधे कत्ल का खुलासा : दोस्त की बाइक हड़पने तीन दोस्तों ने की थी युवक की हत्या

हत्या में शामिल अपचारी बालक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, तमनार पुलिस ने किया घटना का खुलासा

रायगढ़

एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के कुशल दिशा निर्देशन एवं मार्गदर्शन पर तमनार पुलिस ने गत दिनों केंदाडोंगरी पहाड पर मिले युवक की लाश मामले में हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर मामले का त्वरित रूप से पटाक्षेप किया गया है। एडिशनल एसपी आकाश मरकाम ने प्रेस कांफ्रेस में घटना का खुलासा कर बताए कि तमनार पुलिस ने अज्ञात मृतक की शव की शिनाख्तगी कर मामले में मिले एक-एक साक्ष्य को जोड़ते हुए अज्ञात 03 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें एक नाबालिग है। आरोपियों ने मृतक की बाइक को हासिल करने के लिए उसकी हत्या करने की बात कबूल की गई है। तीनों आरोपियों को हत्या और साक्ष्य छिपाने के अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा जा रहा है।

घटना का विवरण-

थाना तमनार क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 20.10.2024 को ग्राम बांजीखोल जाने वाली केंदाडोंगरी पहाड में एक अज्ञात युवक का शव पडा मिला। सूचक ग्राम कोटवार भोजराम चौहान की सूचना पर मर्ग क्रमांक 82/2024 धारा 194 BNSS कायम कर जांच में लिया गया, मृतक का शव लगभग तीन - चार दिन पूर्व का प्रतीत हो रहा था, पंचनामा पर मृतक के पास से मिले ब्रेसलेट, चाबी, छिंटदार फूलशर्ट, नीला रंग का जींस पेंट प्लास्टिक चप्पल और मोबाइल नंबर लिखा हुआ एक कागज का टुकड़ा मिला जिसे सुरक्षित रख कर शव का कफन-दफन किया गया। प्रथम दृष्टिया मामला "हत्यात्मक" प्रतीत होने पर मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर द्वारा मृतक की पहचान के लिए मृतक के फोटोग्राफ्स विभिन्न व्हाटसअप ग्रुप में शेयर कर जानकारी ली जा रही थी तथा मृतक के पास से कागज में नोट किया हुआ मोबाइल नंबर से जानकारी जुटाते हुए मृतक के परिजनों तक पहुंची। दूसरे ही दिन शव का उत्खनन पश्चात ग्राम बिछिनारा नया रामपुर, घरघोडा निवासी श्यामलाल लोधा द्वारा अज्ञात मृतक की शिनाख्त अपने पुत्र टिकेश्वर लोधा (उम्र 19 वर्ष) के रूप में की गई। शव के पीएम रिपोर्ट से थाना तमनार में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध 24 अक्टूबर को अपराध क्रमांक 268/2024 धारा 103(1), 238(क) BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

अज्ञात आरोपियों तक पहुंची पुलिस-

मृतक की शिनाख्तगी पश्चात टीआई आशीर्वाद राहटगांवकर के नेतृत्व में पुलिस टीम मृतक के रिस्तेदारों, दोस्तों से सिलसिलेवार पूछताछ के क्रम को बढ़ाया गया, जिसमें मृतक को अंतिम बार उसके नरेन्द्र उर्फ बोनु सारथी निवासी कंचनपुर, घरघोड़ा के साथ देखे जाने की जानकारी मिली। तत्काल नरेन्द्र के घर दबिश दिया गया जो आरोपी फरार था। पुलिस ने मुखबीर लगाकर जानकारी ली गई जिसमें 16 अक्टूबर को नरेन्द्र, टिकेश्वर को विजय चौहान (सराईडिपा) और नाबालिग बालक के साथ होने की जानकारी मिली। 24 अक्टूबर को ही आरोपित विजय चौहान और नाबालिग बालक को पुलिस ने दबिश देकर पकड़ा। आरोपी विजय चौहान ने नरेन्द्र और नाबालिग लड़के के साथ मिलकर घटना कारित करना स्वीकार किया। छापेमारी में फरार आरोपित नरेन्द्र उर्फ बोनु सारथी को कल हिरासत में लिया गया।

जानकारी के मुताबिक टिकेश्वर लोधा (मृतक) को उसके पिता ने KTM ड्यूक बाइक खरीद कर दी थी। आरोपियों ने अपने मेमोरेंडम कथन में बताए कि 15 अक्टूबर को टिकेश्वर लोधा अपने KTM बाइक से नरेंद्र उर्फ बोनु सारथी के घर आया था। दूसरे दिन 16 अक्टूबर के शाम दोंनो बाइक पर घूमने जाने निकले। रास्ते में ग्राम सराईडिपा पर नरेन्द्र ने अपने दोस्त विजय चौहान और नाबालिक भी अपने KTM बालक में बिठाकर मेला देखने जाने साथ लिये। इन्होंने बाइक में पेट्रोल डलाये और करीब आधा लीटर पेट्रोल प्लास्टिक बॉटल में रख लिये फिर चारों रोडोपाली होते बांजीखोल जंगल अंदर गये वहां नशा किये, वहीं टिकेश्वर लोधा घास में लेट हुआ। उसी समय नरेंद्र ने विजय और नाबालिक लड़के को टिकेश्वर की हत्या कर KTM बाइक हथियाने की प्लानिंग बताई और बताया कि बाइक को तीनों बारी-बारी से उपयोग करेंगे। वहीं पेट्रोल डालकर टिकेश्वर की हत्या को अंजाम देने वाले थे पर टिकेश्वर के जागने से घटना को वहां अंजाम नहीं दे पाये तो वापस चारों घरघोड़ा आ गए। रात में घरघोड़ा के एक ढाबा खाना खाने गये, ढाबा में टिकेश्वर और नाबालिग लड़के को छोड़कर नरेन्द्र और विजय बाइक लेकर घूमने निकल गये। रातभर घूमने के बाद सुबह फिर चारों बाइक पर बांजीखोल जंगल गये। बाइक को रोड़ किनारे बुढा मंदिर के पास खड़ी कर पैदल पहाड़ चढने लगे। उसी समय जंगल से सराई का गेडा (लकड़ी) तोड़कर विजय ने टिकेश्वर टिकेश्वर के सिर पीछे से 3-4 बार मारा जिससे टिकेश्वर पत्थर पर गिरा फिर नरेन्द्र ने चाकू, अपचारी बालक ने पत्थर, लात घुसों से टिकेश्वर पर हमला कर उसकी हत्या कर दिये। मामले में लूट और षड्यंत्र के अनुरूप धारा 61(2), 309(6),3(5) BNS जोड़ा गया है।

पुलिस ने आरोपियों से घटना में प्रयुक्त गेडा (लकडी), चाकू, पत्थर, घटना समय पहने कपड़े, KTM ड्यूक बाइक बरामद किया गया है।

आरोपित विधि के साथ संघर्षरत बालक तथा विजय चौहान को कल न्यायिक रिमांड पर पेश कर जेल दाखिल किया गया है तथा आज आरोपी नरेंद्र उर्फ बोनू सारथी को आरोपियों को हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा जा रहा है।

एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन व एडिशनल एसपी आकाश मरकाम के मार्गदर्शन पर मामले के संपूर्ण का त्वरित पटाक्षेप में थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक आशीर्वाद रहटगांवकर, सहायक उप निरीक्षक खेमराज पटेल, प्रधान आरक्षक संतोष कुर्रे, अनूप कुजूर, आरक्षक अनूप मिंज, भीष्मदेव सागर, हरीश पटेल (थाना घरघोड़ा) की सराहनीय भूमिका रही।

गिरफ्तार आरोपी-

(1) नरेंद्र उर्फ बोनु सारथी पिता स्व. नंद किशोर सारथी 19 साल कंचनपुर थाना घरघोड़ा

(2) विजय चौहान पिता राजेन्द्र 18 साल सराईडिपा थाना तमनार जिला रायगढ़

(3) विधि के साथ संघर्षरत बालक।

महत्वपूर्ण एवं खास

छत्तीसगढ़ सरकार की आगामी दिनों में छुट्टियां

सारंगढ़-बिलाईगढ़। आगामी दिनों में दीपावली, देवउठनी एकादशी सहित गुरुनानक जयंती आने वाला है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 31 अक्टूबर को दीपावली का सामान्य अवकाश, 1 नवंबर को गोवर्धन पूजा का ऐच्छिक अवकाश, 2 और 3 नवंबर को शनिवार रविवार का अवकाश है। इसी प्रकार 7 नवंबर गुरुवार को छठ पूजा का सामान्य अवकाश, 8 नवंबर शुक्रवार को भगवान सहस्त्रबाहु जयंती का ऐच्छिक अवकाश, 9 और 10 नवंबर को शनिवार रविवार का अवकाश है। 12 नवंबर देवउठनी एकादशी को सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के कलेक्टर द्वारा स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। स्थानीय अवकाश बैंक, कोषालय और उप कोषालय पर लागू नहीं है। इसी प्रकार 15 नवंबर शुक्रवार को गुरुनानक जयंती पर सामान्य अवकाश है। 16 और 17 नवंबर को शनिवार रविवार का अवकाश है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम 2010 के नियम 10 अनुसार एक प्रकार के अवकाश के साथ अन्य किसी प्रकार का अवकाश जोड़ा जा सकता है।

नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर वसूले 2 लाख, गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस) | राजधानी से एक सेक्सटॉर्शन का मामला सामने आया है. रायपुर के आमापारा इलाके के एक युवक ने सोशल मीडिया पर एक नाबालिग से दोस्ती की, प्रेम संबंध बनाया और फिर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए 2 लाख से अधिक के गहने वसूल लिये. पीड़िता ने ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, रायपुर के आमापारा इलाके के उडिय़ा बस्ती के निवासी विष्णु सोनी नगर निगम सफाई ठेका का सुपरवाइजर पद पर कार्यरत है. आरोपी ने पहले पीड़िता से इंस्टाग्राम में दोस्ती की. दोनों के बीच बातें होने लगी और फिर आरोपी ने पीड़िता को प्रेम जाल में फंसाकर दैहिक शोषण किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया. इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को अपना असली रंग दिखाया। उसने पीड़िता को उसके अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए 2 लाख रुपये से अधिक के गहने वसूल लिये और लगातार ब्लैकमेल करता रहा. पीड़िता ने ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर पुलिस में आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

कलेक्टर ने केड़ार में निर्माणाधीन पानी टंकी का किया निरीक्षण

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने विगत दिवस सारंगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत केड़ार में निर्माणाधीन दो पानी टंकी का निरीक्षण किया। केड़ार के डेम के पास दो टंकी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से एक का आधा निर्माण हो चुका है और दूसरे टंकी के नींव के लिए गड्ढा किया गया है। इन दोनों पानी टंकी के टेंडर, स्वीकृत राशि, निर्माण अवधि, पानी की आवक और वितरण आदि के संबंध में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के प्रभारी अधिकारी कमल कंवर ने कलेक्टर धर्मेश साहू को जानकारी दी। इस अवसर पर नोडल अधिकारी पंचायत हरिशंकर चौहान, जिला शिक्षा अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद पटेल, डीपीएम इजारदार सहित अन्य अधिकारी और पत्रकारगण उपस्थित थे।

कलेक्टर धर्मेश साहू ने उप स्वास्थ्य केंद्र केड़ार का किया निरीक्षण

सारंगढ़ बिलाईगढ़

कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने विगत दिवस सारंगढ़ ब्लॉक के उप स्वास्थ्य केंद्र केड़ार का आकस्मिक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों से आने वाले मरीजों, पिछले महीनों में किए गए इलाज, मरीजों की संख्या, गर्भवती महिलाओं के प्रसव की व्यवस्था, रजिस्टर में दर्ज आकंड़े, दवा वितरण आदि के संबंध में जानकारी ली। कर्मियों ने बताया कि इस केंद्र में 7 गांव के मरीज इलाज कराने आते हैं। यह उप स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में भी संचालित है। डीपीएम इजारदार ने कलेक्टर को जानकारी दी कि स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी की व्यवस्था किया गया है। डिलीवरी के लिए महिला के आने पर भर्ती किया जाएगा। इस अवसर पर नोडल अधिकारी पंचायत हरिशंकर चौहान, जिला शिक्षा अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद पटेल, डीपीएम इजारदार सहित अन्य अधिकारी और पत्रकारगण उपस्थित थे।

घरघोड़ा पुलिस ने रेलवे कैटनरी तांबा तार चोरी के एक और मामले को सुलझाया : चोरी मामले में दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, रु.80,000 मूल्य का तांबा तार बरामद

रायगढ़

दिनांक 25.10.2024 को प्रार्थी अजय निकुंज, निवासी साडा कॉलोनी कोरबा, थाना पुसौर, जिला रायगढ़ ने थाना घरघोड़ा में शिकायत दर्ज कराया कि 16-17 अक्टूबर की मध्यरात्रि में अज्ञात चोरों ने ग्राम बरकसपाली रेलवे लाइन के पोल नंबर 40/2, 41/7 से लगभग 100 मीटर कैटनरी तांबा तार (कीमत रु.35,000) चोरी कर लिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्र. 304/2024 धारा 303(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

माल मुल्जिम पतासाजी के दौरान संदिग्ध नोहर सिंह, निवासी कोगनारा, को मुखबिर की सूचना के आधार पर हिरासत में लिया गया। सख्ती से पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने अपने साथी देवनाथ राठिया के साथ मिलकर बरकसपाली रेलवे लाइन से तांबा तार काटकर चोरी की थी। दोनों आरोपियों ने बांस और लोहे की आरी का उपयोग कर तांबा तार के टुकड़े किए थे। नोहर सिंह के मेमोरेंडम पर 30 मीटर कैटनरी तांबा तार (कीमत रु.25,000) और चोरी में प्रयुक्त आरी पत्ती बरामद की गई।

प्रकरण में दो आरोपियों के होने से धारा 3(5) बीएनएस जोड़ी गई। पुलिस ने देवनाथ राठिया की तलाश कर उसे हिरासत में लिया, जिसने पूछताछ में बताया कि उसने नोहर सिंह के साथ मिलकर तांबा तार को काटा और आपस में बांट लिया। देवनाथ राठिया से 69 मीटर कैटनरी तांबा तार (कीमत रु.55,000) बरामद हुआ, जिसे गवाहों के सामने विधिवत जब्त कर लिया गया है।

गिरफ्तार आरोपी देवनाथ राठिया पहले भी चोरी के अपराध (अपराध क्र. 433/22 धारा 379, 34 भादवि) में संलिप्त रह चुका है। दोनों आरोपियों को आज घरघोड़ा पुलिस द्वारा न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

गिरफ्तार आरोपी -

(1) नोहर सिंह पिता लाला राम उम्र 35 वर्ष सा. केराकछार, थाना करतला जिला कोरबा हामु कोगनारा, थाना घरघोडा जिला रायगढ छ.ग.

(2) देवनाथ राठिया पिता वीरसिंह राठिया उम्र 36 वर्ष सा. कोगनारा, थाना घरघोडा जिला रायगढ छ.ग.

माल और मुल्जिम की पतासाजी में सहायक उप-निरीक्षक विलफ्रेड मसीह, आरक्षक प्रहलाद भगत और सुमित उरांव की अहम भूमिका रही।

पैरालीगल वालिंटियर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

रायगढ़

प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार जैन की अध्यक्षता में एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवेन्द्र साहू, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी देवाशीष ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम गोपाल के मार्गदर्शन में समस्त थाना, लीगल एड क्लिनिक, तथा प्रबंध कार्यालय में कार्यरत पैरालीगल वालिंटियर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा संचालित स्टेट प्लॉन ऑफ एक्शन कैलेंडर 2024 के तहत 26 अक्टूबर को जिला न्यायालय के सभाकक्ष मे आयोजित किया गया।

आज प्रशिक्षण कार्यक्रम में नालसा व सालसा द्वारा संचालित योजनांए, वरिष्ठजनों के अधिकार, प्रयास अभियान, मोटरयान दुर्घटना दावा प्रकरण अधिनियम, नालसा टोल फ्री नंबर 15100, नि:शुल्क विधिक सहायता व कानूनी अधिकारों के विषय में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा आगामी नेशनल लोक अदालत में 14 सितम्बर 2024 में राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण संबंधी जानकारी प्रदान की गई एवं साईबर अपराध के बारे में वर्तमान में हो रही। घटनाओं के बारे मे अवगत कराते हुए और साईबर अपराध से कोई व्यक्ति पीडित न हो इसके लिए जनसामान्य को जागरूक कराने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही पैरालीगल को यह भी निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दिवस विभिन्न स्थानों में जाकर एक-एक शिविर करें तथा एक से अधिक लोगों को जागरूक करें साथ ही प्रशिक्षण में सम्मिलित समस्त पीएलव्ही को उनके कार्यो को दैनदंनी रजिस्टर को उचित रूप से संधारित करने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान पीएलव्ही के द्वारा उनके कार्यो के संबंध में आने वाली विभिन्न समस्याओं के विषय में प्रधान जिला न्यायाधीश को अवगत कराये जाने पर उनके द्वारा सभी समस्याओं का समाधानप्रद व संतोषजनक सुझाव दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ से सचिव अंकिता मुदलियार की भी सहभागिता रही।

नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर हुई अधिकारियों के साथ एक दिवसीय बैठक

रायगढ़

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 14 दिसम्बर 2024 को सभी मामलों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होना है इस हेतु आज जिला एवं सत्र न्यायालय रायगढ़ के सभागार में राजस्व अधिकारियों एवं न्यायिक अधिकारियों तथा पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण की बैठक आयोजित हुई।

बैठक में आगामी राष्ट्रीय नेशनल लोक अदालत की रणनीति तैयार की गई। जिसमें राष्ट्रीय नेशनल लोक अदालत 2024 को सफल बनाने हेतु तथा अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु पुलिस प्रशासन को दिशा-निर्देश दिए गए। जिसमें न्यायालय में लंबित राजी नामा योग्य आपराधिक मामले, पानी एवं विद्युत बकाया तथा बैंक रिकवरी के प्री-लिटिगेशन व अन्य मामले राजीनामा हेतु रखे जाने एवं अन्य छोटे आपराधिक मामलों जिसमें यातायात उल्लंघन के मामले भी शामिल कर निराकृत किये जाने वाले मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य रूप से प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जितेन्द्र कुमार जैन, संयुक्त कलेक्टर रायगढ़, संयुक्त कलेक्टर सारंगढ़ बिलाईगढ़, उप पुलिस अधीक्षक रायगढ़, उप पुलिस अधीक्षक सारंगढ़-बिलाईगढ़, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रायगढ़, संतोष आदित्य, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ देवेंद्र साहू, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारूल श्रीवास्तव सारंगढ़ बिलाईगढ़, सचिव/न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंकिता मुदलियार, जिला जेल अधीक्षक रायगढ़, उपसंचालक अभियोजन, उपक्रम नगर निगम अधिकारी, सहायक यंत्री सी.एस. पी.डी.सी.एल. एवं पी.डब्लू.डी के अधिकारीगण सम्मिलित हुए।

साजा विधायक के पुत्र की गिरफ्तारी को लेकर आदिवासी समाज ने दिया धरना

❒ धरने में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद नेताम

बेमेतरा | आरएनएस

साजा विधानसभा में आदिवासी युवक के साथ विधायक ईश्वर साहू के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर शनिवार को बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग साजा में एकत्रित हुए और एकदिवसीय धरना प्रदर्शन किया। समाज प्रमुखों का कहना है यह अपमान आदिवासी नहीं सहेगा। विधायक के बेटे पर कार्रवाई करनी होगी नहीं तो आगे यह आंदोलन और भी तेज होगा।

धरने में पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद नेताम भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि साजा में मनीष मंडावी के साथ जो घटना हुई वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। शासन ऐसे मामले में गंभीर नहीं दिखती है. ऐसे मामलों में अगर न्याय न मिले तो समाज के लिए यह चिंता का विषय है। उम्मीद थी की प्रशासन इसको लेकर उचित कार्रवाई करेगी, लेकिन ये लोग दलाली करने की कोशिश कर रहे हैं. हमें मनाने की कोशिश कर रहे हैं. प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि कोंटा से लेकर बलरामपुर तक समाज को इकठ्ठा किया जा रहा है. अंबिकापुर में भी हमने न्याय की लडाई लड़ी और जीते भी. यहां भी समाज के साथ हैं और आगे ये लड़ाई जारी रहेगी. बता दें कि घटना वाले दिन के बाद से ही आदिवासी लगातार विधायक ईश्वर साहू के बेटे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

हाईकोर्ट ने दिया तत्कालीन अतिरिक्त तहसीलदार एवं रिटायर्ड रीडर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश

बिलासपुर | आरएनएस

हाईकोर्ट ने एक अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए बिलासपुर जिले के तत्कालीन अतिरिक्त तहसीलदार जयशंकर उरांव, रिटायर रीडर एनके पांडे और जमीन खरीदार सुरेन्द्र बहादुर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला जमीन खरीदी-बिक्री से संबंधित है।

मिली जानकारी के अनुसार मामला 2013-14 में पौंसरा की 2.15 एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री का है। तब इस जमीन का नामांतरण तत्कालीन अतिरिक्त तहसीलदार जयशंकर उरांव के हस्ताक्षर से किया गया था। बाद में पेखन लाल शेंडे ने रजिस्ट्री और नामांतरण आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगते हुए 31 अगस्त 2024 को तहसील कार्यालय में आवेदन दिया। दस्तावेज न मिलने पर शेंडे ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। जिसके बाद कोर्ट ने तहसील को दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया था। तहसील कार्यालय की ओर से समय सीमा के बाद भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे परेशान होकर शेंडे ने अवमानना याचिका दायर की। कोर्ट ने इसके जवाब में एसडीएम बिलासपुर पीयूष तिवारी, तहसीलदार अतुल वैष्णव और मुकेश देवांगन को नोटिस जारी किया। अधिकारियों ने दस्तावेज की खोज के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने 24 अक्टूबर तक का समय दिया था। बावजूद इसके, दस्तावेज नहीं मिलने पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की। करीब 15 दिनों तक दस्तावेजों की खोजबीन के बाद भी नामांतरण और रजिस्ट्री संबंधी कोई भी दस्तावेज नहीं मिल सका। तहसील अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि पूरे रिकॉर्ड गायब हैं, और रिटायर रीडर एनके पांडे की लापरवाही की शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हाईकोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि गुमशुदा दस्तावेजों के लिए केवल रीडर को दोषी ठहराना सही नहीं है। नामांतरण आदेश पर तत्कालीन अतिरिक्त तहसीलदार जयशंकर उरांव (अब तहसीलदार) के हस्ताक्षर भी थे, जिससे उन्हें भी दोषी माना गया। कोर्ट ने तत्कालीन अतिरिक्त तहसीलदार उरांव, रीडर पांडे और जमीन खरीदार सुरेन्द्र बहादुर सिंह के खिलाफ एफ आईआर दर्ज कराने का आदेश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होनी है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480